रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2019/वैशाख 16, 1941
No. 146] NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2019/VAISAKHA 16, 1941

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2019

फा. सं. 14–4/2012 (सीपीपी–II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप–धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 का अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः–

1. **संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ :**

   (क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

   (ख) वे ऐसे सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित किया गया हो, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों तथा ऐसे सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

   (ग) यह विनियम, भासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **उद्देश्यः**

   किसी संस्थान में पहले से नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और इस संबंध में एक तंत्र स्थापित करना।

3. **परिभाषाः जब तक कि इन विनियमों के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः**

   (क) ''अधिनियम'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;

   (ख) ''पीड़ित छात्र'' से अभिप्राय किसी ऐसे छात्र से है जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंध किसी मामले में कोई शिकायत हो।

(ग) ''महाविद्यालय'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से परिभाषित किसी संस्थान से है।

(घ) ''महाविद्यालयी छात्र शिकायत निवारण समिति'' (सीएसजीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी संस्थान के स्तर पर, जोकि महाविद्यालय हो, गठित किसी समिति से है।

(ङ) ''आयोग'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित आयोग से है।

(च) ''घोषित प्रवेश नीति'' का अभिप्राय संस्थान द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

(छ) ''विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति'' (डीएसजीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग, विद्यालय या केंद्र के स्तर पर गठित किसी समिति से है।

(ज) ''शिकायत'' का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीड़ित छात्र द्वारा की गई शिकायत(तें) शामिल हैं, नामतः

i. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना;

ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं;

iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना;

iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्था द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना;

v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक हो, और तथ्यों पर आधारित नहीं हो;

vi. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो, को अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों, का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;

vii. संस्था की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना;

viii. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाए;

ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत, अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हों तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना;

x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में, अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में, अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना;

xi. विवरणिका में यथा उल्लिखित, अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना;

xii. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर– पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां;

xiii. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जोकि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, अथवा जैसा की आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, के भीतर प्रवेश त्याग देता है;

xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा निशक्त श्रेणियों के छात्रों के कथित भेदभाव की शिकायत;

xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किए जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना; तथा

xvi. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामले के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधों के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।

(झ) ''संस्थान'' से अभिप्राय है, जैसा कि संदर्भ हो, अधिनियम के तहत किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान से है, अथवा किसी विशिष्ट विधा अथवा क्रियाकलाप हेतु किसी विश्वविद्यालय के तहत स्थापित किए गए किसी संस्थान से है।

(ञ) ''संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति'' (आईएसजीआरसी) का अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी विश्वविद्यालय के स्तर पर, ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए गठित की गई समिति से है जो विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग से संबधित नहीं हो, उदाहरण के लिए छात्रावास और सामान्य सुविधाएं।

(ट) ''लोकपाल'' का अभिप्राय इन विनियमों के तहत नियुक्त लोकपाल से है;

(ठ) ''विवरणिका'' का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई भी प्रकाशन शामिल है, चाहे वह मुद्रित स्वरूप में अथवा अन्यथा हो, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुकों सहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान अथवा किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो;

(ड) ''क्षेत्र'' का अभिप्राय एक भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें राज्य शामिल हैं, जिन्हें इन विनियमों को लागू करने हेतु सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसा निर्धारित किया गया होः नामत, दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और तमिलनाडु शामिल हैं; दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र में केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप शामिल हैं; पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव शामिल हैं; मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं; उत्तरी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ शामिल हैं; पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड शामिल हैं, और पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।

(ढ़) ''राज्य'' का अभिप्राय संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है;

(ण) ''छात्र'' से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान, जिसमें यह विनियम लागू होते हैं, में नामांकित किसी व्यक्ति, अथवा नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्त के इच्छुक व्यक्ति से है;

(त्) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की खंड (च) में यथा परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से है, अथवा जहां संदर्भ के अनुसार, तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोषित किए जाने वाला कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान हो।

(थ) ''विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति'' (यूएसजीआरसी) से अभिप्राय विश्वविद्यालय के स्तर पर डीएसजीआरसी, आईएसजीआरसी अथवा सीएसजीआरसी के निर्णय के परिणामस्वरूप उपजी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए इन विनियमों के तहत गठित किसी समिति से है।

4. विवरणिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तु तथा मूल्य निर्धारणः

1. प्रत्येक संस्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित और/अथवा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्विष्ट होगी, नामतः

(क) प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए, शिक्षण के घंटों, व्यावहारिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ–साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सहित उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा;

(ख) जिस शिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध में, उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या;

(ग) संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सहित शैक्षिक योग्यता और पात्रता की शर्तें;

(घ) इस प्रकार के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा या इम्तहान के विवरण के संबंध में सभी संगत जानकारी और प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि शामिल है;

(ङ) किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में भर्ती किए गए छात्रों द्वारा देय शुल्क, जमा राशियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य निबंधन और शर्तें;

(च) शास्ति लगाए जाने और संग्रहण किए जाने हेतु नियम/विनियम, विनिर्दिष्ट शीर्ष अथवा श्रेणियां, लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम राशि;

(छ) ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों द्वारा यदि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो छात्रों को प्रतिदाय किए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों का प्रतिशत, तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धति जिससे छात्रों को ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा;

(ज) उनकी शैक्षिक योग्यता शिक्षण संकाय का विवरण, उनकी नियुक्ति का स्वरूप (नियमित/अभ्यागत/अतिथि) और उसके प्रत्येक सदस्य के शिक्षण अनुभव के साथ;

(झ) भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रावास और इसके शुल्क, पुस्तकालय, अस्पताल अथवा उद्योग, जहां छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो, सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी और विशेषरूप से छात्रों द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्योरा अंतर्विष्ट हो;

(ञ) संस्थान के परिसर के भीतर अथवा बाहर छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत निदेश, और, विशेषरूप से किसी छात्र अथवा छात्रों की रैगिंग निषिद्ध करने संबंधी ऐसे अनुशासन को बनाए रखने और उनका उल्लंघन किए जाने के परिणामों और संगत सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के परिणामों का ब्योरा अंतर्विष्ट होगा; तथा

(ट) आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारीः

बशर्ते कि, प्रत्येक संस्थान इस विनियम के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित/अपलोड करेगा, और विभिन्न समाचारपत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक छात्रों और आम जनता का ध्यान वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन की ओर दिलाया जाएगा ।

2. प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा।

5. छात्र शिकायत निवारण समितियां (एसजीआरसी):

क. महाविद्यालयी छात्र शिकायत निवारण समिति (सीएसजीआरसी)

(i) किसी भी पीड़ित छात्र की महाविद्यालय से संबंधित किसी भी शिकायत को निम्नलिखित संरचना वाली महाविद्यालयी छात्र शिकायत निवारण समिति (सीएसजीआरसी) को भेजा जाएगाः

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य– सभापति;

(ख) प्राचार्य द्वारा शिक्षण संकाय से तीन वरिष्ठ सदस्यगणों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा– सदस्यगण;

(ग) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे प्राचार्य द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह–पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा– विशेष आमंत्रिति।

(ii) सदस्यगणों तथा विशेष आमंत्रिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

(iii) बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रिति के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।

(iv) शिकायतों पर विचार करते हुए सीएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।

(v) सीएसजीआरसी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों, यदि कोई हो तो, के साथ संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

ख. विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति (डीएसजीआरसी)

(i) किसी भी पीड़ित छात्र की विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग, अथवा विद्यालय, अथवा केन्द्र से संबंधित किसी भी शिकायत को विभाग, विद्यालय अथवा केन्द्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा गठित की जाने और निम्नलिखित संरचना वाली विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति (डीएसजीआरसी) को भेजा जाएगा, नामतः

(क) विभाग, विद्यालय, अथवा केन्द्र का अध्यक्ष, चाहे उसे किसी भी पदनाम से जाना जाए— सभापति;

(ख) विभाग/विद्यालय/केन्द्र के बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो आचार्य— सदस्य;

(ग) संकाय का सदस्य, जो शिकायत निवारण की प्रणाली से भली— भांति परिचित हो, को सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— सदस्य;

(घ) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह—पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— विशेष आमंत्रिति

(ii) सभापति, समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

(iii) डीएसजीआरसी की बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रिति के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।

(iv) अपने समक्ष प्रस्तुत शिकायतों पर विचार करते हुए डीएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।

(v) डीएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट को सिफारिशों, यदि कोई हों तो, के साथ संस्थान के मुखिया/ कुलपति को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

ग. संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति (आईएसजीआरसी)

(i) जब शिकायत किसी विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक विभाग, विद्यालय अथवा केन्द्र, जैसा भी मामला हो, से संबद्ध नहीं हो तो मामले को कुलपति महोदय द्वारा निम्नवत संरचना के साथ गठित की जाने वाली एक संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति (आईएसजीआरसी) को भेजा जाएगा; नामतः

(क) संस्थान का सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष/वरिष्ठ आचार्य— सभापति;

(ख) छात्र संकाय अध्यक्ष/संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण— सदस्य;

(ग) सभापति के अलावा एक वरिष्ठ शिक्षाविद्— सदस्य;

(घ) कुलानुशासक/वरिष्ठ शिक्षाविद्— सदस्य

(ङ) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह—पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— विशेष आमंत्रिति।

(ii) समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

(iii) आईएसजीआरसी की बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रिति के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।

(iv) अपने समक्ष प्रस्तुत शिकायतों पर विचार करते हुए आईएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।

(v) आईएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट को सिफारिशों, यदि कोई हों तो, के साथ कुलपति को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

(v) सीएसजीआरसी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों, यदि कोई हो तो, के साथ संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

ख. विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति (डीएसजीआरसी)

(i) किसी भी पीड़ित छात्र की विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग, अथवा विद्यालय, अथवा केन्द्र से संबंधित किसी भी शिकायत को विभाग, विद्यालय अथवा केन्द्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा गठित की जाने और निम्नलिखित संरचना वाली विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति (डीएसजीआरसी) को भेजा जाएगा, नामतः

(क) विभाग, विद्यालय, अथवा केन्द्र का अध्यक्ष, चाहे उसे किसी भी पदनाम से जाना जाए— सभापति;

(ख) विभाग/विद्यालय/केन्द्र के बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो आचार्य— सदस्य;

(ग) संकाय का सदस्य, जो शिकायत निवारण की प्रणाली से भली— भांति परिचित हो, को सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— सदस्य;

(घ) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह—पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— विशेष आमंत्रिति

(ii) सभापति, समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

(iii) डीएसजीआरसी की बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रिति के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।

(iv) अपने समक्ष प्रस्तुत शिकायतों पर विचार करते हुए डीएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।

(v) डीएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट को सिफारिशों, यदि कोई हों तो, के साथ संस्थान के मुखिया/ कुलपति को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

ग. संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति (आईएसजीआरसी)

(i) जब शिकायत किसी विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक विभाग, विद्यालय अथवा केन्द्र, जैसा भी मामला हो, से संबद्ध नहीं हो तो मामले को कुलपति महोदय द्वारा निम्नवत संरचना के साथ गठित की जाने वाली एक संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति (आईएसजीआरसी) को भेजा जाएगा; नामतः

(क) संस्थान का सम—कुलपति/संकाय अध्यक्ष/वरिष्ठ आचार्य— सभापति;

(ख) छात्र संकाय अध्यक्ष/संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण— सदस्य;

(ग) सभापति के अलावा एक वरिष्ठ शिक्षाविद्— सदस्य;

(घ) कुलानुशासक/वरिष्ठ शिक्षाविद्— सदस्य

(ङ) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह—पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— विशेष आमंत्रिति।

(ii) समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

(iii) आईएसजीआरसी की बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रिति के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।

(iv) अपने समक्ष प्रस्तुत शिकायतों पर विचार करते हुए आईएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।

(v) आईएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट को सिफारिशों, यदि कोई हों तो, के साथ कुलपति को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

घ. विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति (यूएसजीआरसी)

(i) एक संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति, उतनी संख्या में विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समितियों (यूएसजीआरसी) का गठन करेंगे, जैसा कि एक या एक से अधिक सीएसजीआरसी या डीएसजीआरसी या आईएसजीआरसी द्वारा अनसुलझी शिकायतों पर विचार करने के लिए आवश्यक हो और प्रत्येक यूएसजीआरसी, महाविद्यालयों/विभागों/संस्थानों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों पर, कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त किए गए क्षेत्राधिकार क्षेत्र के आधार पर कार्यवाही कर सकता है।

क) विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ आचार्य– सभापति;

ख) संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण अथवा समकक्ष – सदस्य;

ग) संबद्ध महाविद्यालयों से लिए गए दो प्राचार्य, जो कि समीक्षाधीन सीएसजीआरसी की रिपोर्टों से न जुड़े हों, कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले हैं– सदस्य;

घ) विश्वविद्यालय का एक आचार्य – सदस्य;

ङ) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह–पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा– विशेष आमंत्रिति।

(ii) सभापति तथा समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

(iii) बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रिति के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।

(iv) अपने समक्ष शिकायतों पर विचार करते हुए यूएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।

(v) यूएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें, यदि कोई हों तो, के साथ शिकायत से संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/विद्यालय/संस्थान को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगी तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

(vi) विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित कोई भी छात्र, इस तरह के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

6. लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल, उसे पद से हटाया जाना और सेवा की शर्तें:

(i) यूएसजीआरसी के निर्णयों के विरूद्ध सुनवाई करने और निर्णय देने और अपील करने के लिए एक या एक से अधिक अंशकालिक पदाधिकारियों को लोकपाल के रूप में नामित किया जाएगा;

बशर्ते कि, उस राज्य में स्थित सभी राज्य विश्वविद्यालयों (सार्वजनिक के साथ– साथ निजी विश्वविद्यालयों) के संबंध में एक राज्य के लिए एक से अधिक लोकपाल नहीं होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

बशर्ते आगे कि, एक क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए एक से अधिक लोकपाल नहीं होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ii) लोकपाल, शिक्षा अथवा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति होंगे, जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हों।

(iii) किसी राज्य में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए लोकपाल, उस राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के साथ हितों के टकराव में नहीं होगा; और उस क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों हेतु लोकपाल, इस तरह की नियुक्ति से पहले अथवा उसके पश्चात्, उस क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान के साथ किसी भी तरह के हितों के टकराव में नहीं होंगे।

(iv) एक राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ गठित एक खोज समिति द्वारा सुझाए गए तीन नामों के पैनल में से लोकपाल की नियुक्ति करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामतः

(क) राज्यपाल या उपराज्यपाल का एक नामिति, जैसा भी मामला हो, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो– सभापति;

(ख) राज्य के राज्यपाल/संघ भासित राज्य के उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाने वाला राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय का कुलपति– सदस्य;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक राज्य निजी विश्वविद्यालय का कुलपति– सदस्य;

(घ) राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष अथवा परिषद के शैक्षणिक सदस्यों में से उनका नामिति– सदस्य;

(ङ) उच्चतर शिक्षा के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के प्रधान सचिव/सचिव– सदस्य सचिव;

(v) केंद्र सरकार इस प्रयोजनार्थ गठित एक खोज समिति द्वारा सुझाए गए तीन नामों के पैनल में से लोकपाल की नियुक्ति करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामतः

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय अथवा उनके नामिति– सभापति;

(ख) किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा– सदस्य;

(ग) किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान का कुलपति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए– सदस्य;

(घ) केन्द्र सरकार का नामिति जोकि संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो– सदस्य;

(ङ) विश्वविवद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय– सदस्य सचिव;

(vi) लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा, और वह समान राज्य या क्षेत्र के लिए, जैसा कि मामला हो, एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति होने के लिए पात्र होगा।

(vii) सुनवाई का संचालन करने के लिए, लोकपाल को, यात्रा पर हुए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार, प्रति दिन, प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(viii) राज्य के लोकपाल के मामले में राज्य सरकार द्वारा और किसी क्षेत्र के लोकपाल के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल को इन विनियमों के तहत यथा परिभाषित कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप सिद्ध होने पर पद से हटाया जा सकता है।

(ix) कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन न्यायमूर्ति द्वारा की गई जांच के अलावा लोकपाल को पदच्युत करने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, और इस प्रकार की गई जांच में लोकपाल को सुनवाई का एक उचित अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

7. लोकपाल के कार्यकरण :

(i) लोकपाल, छात्र द्वारा इन विनियमों के तहत उपबंधित सभी विकल्पों को अपनाने के पश्चात् ही पीड़ित छात्र की अपील की सुनवाई करेंगे।

(ii) यद्यपि, परीक्षा के संचालन में अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुद्दों को लोकपाल के संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन अथवा अंकों को पुनः योग करने हेतु कोई अपील अथवा आवेदन पर लोकपाल द्वारा सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि भेदभाव की किसी विशिष्ट घटना के परिणामों को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट अनियमितता को इंगित नहीं किया जाता है।

(iii) लोकपाल, कथित रूप से किए गए भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए, न्याय– मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।

(iv) लोकपाल पीड़ित छात्र(त्रों) से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान के लिए सभी प्रयास करेगा।

8. लोकपाल तथा छात्र शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रियाः

(i) प्रत्येक संस्थान, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीड़ित छात्र अपनी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।

(ii) ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।

(iii) छात्र शिकायत निवारण समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ित छात्र को दी जाएगी।

(iv) पीड़ित छात्र, या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।

(v) विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों, को इन विनियमों में उपबंधित समयावधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।

(vi) संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु, लोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति(यों), जैसा भी मामला हो, सहयोग करेंगे; और ऐसा नहीं किए जाने पर लोकपाल द्वारा आयोग को जानकारी दी जा सकती है जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेगा।

(vii) लोकपाल, दोनों पक्षों को सुने जाने का एक उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कार्यवाहियां समाप्त होने पर तत्संबंधी कारणों सहित, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा वह उपयुक्त समझे, ताकि शिकायत का समाधान हो सके और पीड़ित छात्र को जैसा उपयुक्त हो, राहत प्रदान की जा सके।

(viii) संस्थान के साथ ही साथ पीड़ित छात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी और संस्थान, आदेश की प्रति को सामान्य जानकारी के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा।

(ix) संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा और संस्थान द्वारा सिफारिशों का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में लोकपाल, आयोग को जानकारी प्रदान करेगा।

(x) जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरूद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

9. लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समितियों के संबंध में जानकारी:

संस्थान अपनी वेबसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्टरूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली छात्र शिकायत निवारण समिति(यों) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल के संबंध में सभी संगत जानकारियां उपलब्ध कराएगा।

10. अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम:

आयोग, किसी भी संस्थान के संबंध में, जो जानबूझकर इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं अथवा बार– बार लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति(यों), जैसा भी मामला हो, की सिफारिशों को अनुपालन नहीं करते हैं, उनके विरूद्ध निम्नवत् एक अथवा एक से अधिक कार्यवाहियां कर सकते हैं, नामत:

(क) अधिनियम की धारा 12ख के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेना;

(ख) संस्थान को आवंटित किसी भी अनुदान को रोका जा सकता है;

(ग) आयोग के किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना;

(घ) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को सूचित करना, तथा इस बाबत घोषणा करना की संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए न्यूनतम मानक मौजूद नहीं हैं;

(ङ) महाविद्यालय के मामले में, संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना;

(च) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उपयुक्त और सटीक प्रतीत हो;

(छ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोशणा को वापस लिया जाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

(ज) राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक और उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना;

(झ) गैर–अनुपालन के लिए संस्थान के विरूद्ध ऐसी अन्य कार्रवाई करना जो आवश्यक और उचित समझी जाए।

बशर्ते कि, इस विनियमों के तहत आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर नहीं दिया गया हो और उसे सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

11. इन विनियमों में उल्लिखित कोई भी शर्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 के उपबंधों के तहत नियुक्त किसी पदधारी लोकपाल के कार्यकाल की अवधि के दौरान उसके पद पर बने रहने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी; कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकपाल, की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) संबंधी विनियम, 2019 के अनुरूप की जाएगी।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन–III / 4 / असा. / 30 / 19]